

मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण

(म.प्र.शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन)

(म.प्र. सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 के अधीन पंजीकृत संस्था : पंजीयन क्रमांक 8746/2000)

खण्ड-2, पंचम तल, पर्यावास भवन, अरेरा हिल्स भोपाल

क्र।18404/22/वि-12/ग्रा.स.वि.प्रा./टी-1/414/16,

भोपाल दि. : 29/08/2016

ADDENDUM No-05 [SSR w.e.f. 26.05.2014]

मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण भोपाल द्वारा जारी एसएसआर (दिनांक 26.05.2014 से लागू) के अध्याय 4 में आयटम क्रमांक 4-15 में सम्मिलित करते हुए निम्नानुसार जोड़ा जा रहा है -

S.No	Description	Unit	Rate
4.15	Loosening, levelling and compacting gravel surface to facilitate placement of first layer of WBM/Gravel course, scarifying original surface up to a depth of 150 mm, making proper camber, super elevation, maintaining required longitudinal and cross profile using suitable methods/procedures by equipments i.e with rollers of 80-100 KN static weight to achieve the desired density with using grader etc, mixing with water at OMC complete as per specifications and direction of Engineer-in-Charge." (Applicable on constructed gravel roads for GSB portion only)	Sqm	Rs. 5.40

उपरोक्तानुसार आयटम एसएसआर (दिनांक 26.05.2014 से लागू) के अध्याय 4 में अतिरिक्त आयटम के रूप में जोड़ा गया है। यह ADDENDUM तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

(एम. के. गुप्ता)

प्रमुख अभियंता

म.प्र.ग्रा.स.वि. प्राधिकरण, भोपाल (म.प्र.)

पृ.क्र।18405/22/वि-12/ग्रा.स.वि.प्रा./टी-1/414/16,

भोपाल दि. : 29/08/2016

प्रतिलिपि -

- निर्देशक (तक), एनआरआरडीए, पंचम तल, एनबीसीसी टॉवर, भीकाजी कॉमा प्लेस, नई दिल्ली
- मुख्य महाप्रबंधक (समस्त), म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण ।
- मुख्य महाप्रबंधक (वित्त), म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, मुख्यालय भोपाल ।
- वित्तीय सलाहकार, म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, मुख्यालय भोपाल ।
- STA, MANIT Bhopal, Govt. Engg. College Jabalpur, GSITS Indore & MITS Gwalior को सूचनार्थ ।
- महाप्रबंधक-तक. (समस्त), म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण ।
- महाप्रबंधक (समस्त), म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण पीआईयू को सूचनार्थ तथा निर्देशित किया जाता है कि Addendum लागू होने के पश्चात् कार्य स्थल पर Addendum में किये गये प्रावधान का पालन किया जाना सुनिश्चित करें।
- प्रबंधक आईटी, म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण मुख्यालय भोपाल की ओर प्रेषित कर लेख है कि संशोधित पत्र को www.mprrda.com वेबसाइट पर अपलोड करें

प्रमुख अभियंता

म.प्र.ग्रा.स.वि. प्राधिकरण, भोपाल (म.प्र.)